सरकारी स्वास्थ्य सेवा व ग्रामीण महिला के स्वास्थ्य सुधार का विवेचनात्मक अध्ययनः बिहार राज्य के पटना जिला के संदर्भ में

सुचिता कुमारी

शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

डॉ० विमला पॉल

वरीय प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग, राजकीय विद्यालय महिला कॉलेज, गुलजारबाग, पटना

प्रस्तावना :

महिलाएँ हमारी कुल जनसंख्या का आधा भाग है। परन्तु शिक्षा रोजगार के साथ-साथ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में इन महिलाओं का भागीदारी बहुत ही कम है। महिलाओं की कुल जनसंख्या का सिर्फ 25 प्रशिक्षत को ही शिक्षा प्राप्त है। रोजगार के क्षेत्र की हम बात करें तो यह प्रतिशत काफी कम है। सामान्यत: महिलाएँ या तो परंपरागत क्षेत्रों में ही कार्यरत होती है, या फिर घरेलू महिला के रूप में अपना जीवन समाप्त कर देती है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उन्हें एक ऐसे समाज में अपना व्यक्तित्व बनाना होता है, जहाँ स्त्री होना अभिशाप माना जाता है। भारतीय संविधान में स्त्री को भी पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं, परन्तु व्यवहार में यह सामानता बहुत ही कम है। आम तौर पर महिला लेखन की यह विडंबना रही है कि वही स्त्रियों की जीवन पद्धति और सोच विचार को परंपरागत ढांचे से बाहर निकाल कर नहीं देख पाती है। भारत में कई अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों पर सहमति दी है व स्वीकार भी किया हैं यहाँ वह सतत् विकास लक्ष्य के साथ जैसे समानता को प्राप्त करने और सभी महिलाओं तथा बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार राज्य की नीतियों, योजनाओं और कानून की अपनी संपूर्ण योजना, बजट तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया में जेंडर समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व को स्वीकार भी किया है। वर्ष 2019-20 कि राज्य महिला नीति के समय से अबतक विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित प्रावधानों में ब्हुत से विकास एवं बदलाव आए हैं।

उद्देश्य:

1. महिलाओं और बालिकाओं की स्वास्थ्य से संबंधित अनुकूल व आदर्श स्थिति को सुनिश्चित करना।
2. महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार के अवसर व सरकारी व्यवस्था को सक्षम बनाना।
3. महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम में भागीदारी को बढ़ावा देना और उसके लिए उचित अवसर व सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था करना।

मार्गदर्शक सिद्धांत :

1. स्वास्थ्य को उचित व्यवस्था व मुख्य धारा में इससे जुड़ी हुई भागीदारी।
2. अपने कमजोर ग्रामीण महिला तक स्वास्थ्य सेवा की पहुँचाना।

मुख्य क्षेत्र, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन बिंदु :

बिहार राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित निम्नांकित क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं :-

1. जन्म, उत्तर जीविता, पोषण और स्वास्थ्य
2. स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण एवं स्वास्थ्य लाभ।
3. कुपोषण के विभिन्न रूपों के चिन्हीकरण में।
4. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से ऑनलाइन एवं निरंतर मॉनिटरिंग तथा मार्किंग की व्यवस्था करना।
5. आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में जेंडर अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना।
6. समुदाय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की सहभागिता। स्वास्थ्य, देखभाल स्तनपान एवं पोषण

संबंधी पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन करते हुए उन्हें आयुष एवं आधुनिक ज्ञान से सुसंगत रूप में प्रसारित करना।

7. गर्भवती महिला, छात्र महिला और शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों के बारे में विभिन्न हित-धारकों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना।

अध्ययन क्षेत्र :

बिहार राज्य के पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड में अवस्थित चिरौरा गांव में निवास करने वाली एक सौ (100) ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किया। शोध के कार्य को और भी अधिक विश्वसनीय बनाए जाने हेतु द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत, स्वास्थ्य पत्रिका-बिहार सरकार, पटना जिला से प्रकाशित विभिन्न सरकारी आंकड़ों जो स्वास्थ्य से संबंधित थी, को इसमें संग्रहित किया गया। संतुलित पोषण आहार से संबंधित विभिन्न सरकारी आंकड़ों को भी इसमें शामिल किया गया है।

साहित्य समीक्षा :

साहित्यिक स्रोतों में से मेगापायल, ईशागुणवाल (2020) व इल-वेल-नताली तथा यशमीन विलियमन्स के साहित्यिक अध्ययन ने वातावरण को भी इससे जुड़ा हुआ माना है।

महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाना:

महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाने तथा उनके खिलाफ स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को रोकने के लिए बिहार राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। खासकर कामकाजी महिलाओं में इस धारणा का पूर्ण विकास होते हुए देखा गया है। जैसे:-

1. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 (संशोधन 2003)
2. बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006
3. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, (संशोधित अधि नियम 2017)

उक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनाई गई रणनीति व जागरूकता के आलोक में मजबूत निगरानी के साथ-साथ मूल्यांकन तंत्र तथा बुनियादी सुविधा को और भी अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बिहार सरकार ने पिछले एक दशक से भी अधिक समय से लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रयासों से संस्थागत प्रसववृद्धि, मातृत्व मृत्यु दर में कमी और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। परिवार नियोजन के तरीकों में बेहतर पहुँच का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया। जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को संबोधित करते हुए सुविधा प्रदान करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया गया तथा सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किए जाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार महिलाओं में 1. लौहतत्व 2. फोलिक एसिड 3. कैल्शियम 4. आयोडीन 5. विटामिन और व अन्य की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने के प्रभाव से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में आवश्यक सुधार होते भी देखा गया है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार सरकारी सुविधाओं व स्वास्थ्य से संबंधित क्रिया कलापों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया है कि महिलाओं के जीवन व स्वास्थ्य के प्रति यदि सामाजिक नजरिया बदला जाए तो कोई कारण नहीं कि जच्चा-बच्चा के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में आशा जनक सुधार संभव हो पाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. सिंह निशांत (2005) मानवाधिकार और महिलाएँ, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. डॉ० रानी, आंशु, महिला विकास कार्यक्रम, मिनाक्षी पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ संख्या 191
3. मीनाक्षी मेट्रो (2003) (हिन्दी अनु0) स्त्री अधिकारों को औचित्य साधन, राजकमल प्रकाशन. दिल्ली।

+++